न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्र. /2015 निग/3922 – II-15

श्री विनोद भार्गव अभिभाषक
द्वारा आज दि. 3-12-15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-12-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आलोक कुमार पुत्र श्री राजेश, निवासी ग्राम बड़ेरा सोपान तहसील भाण्डेर जिला दतिया (म.प्र.)

------आवेदक

विरूद्ध

रामसखी पत्नी श्री उमा चरण सोनी, निवासी ग्राम बड़ेरा सोपान तहसील भाण्डेर जिला दतिया (भ.प्र.)

----अनावेदिका

न्यायलय माननीय श्री आशीष श्रीवास्तव, सदस्य राजस्व मण्डल म.प्र., ग्वालियर द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्र. 3685–2/2013 में पारित आदेश दिनांक 06/11/2015 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
3-12-15

माननीय महोदय,

आवदेक का पुनर्विलोकन निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आवेदक ने ग्राम ईगुई तहसील भाण्डेर जिला दतिया, में स्थित भूमि पुराना सर्वे क्र. 270 नवीन बंदोबस्त सर्वे क्र. 445/1 रकबा 0.570 हेक्टर एवं 445/2 रकबा 2.390 हेक्टर के अभिलिखत भूमि स्वामी गौरी शंकर द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रड मुकत्याराम से दिनांक 20/09/1996 को रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। तदनुसार तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण 22/96–97/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 09/04/1997 द्वारा गौरी शंकर के स्थान पर आवेदक के नाम नामांतरण आदेश हो गया था। इस आदेश के विरूद्ध कहीं कोई चुन्नौती नहीं दी गयी ओर यह अंतिम हो गया। इसी बीच गौरी शंकर के मन में बदयांति आने से उसने सहायक बंदोबस्त अधिकारी से साठगाठ कर पिछली तारीक में परिवर्तन पंजी पर दिनांक 04–09–96 को सहमति बटवारा आदेश अपने पुत्रो के नाम पारित करा लिया। इसके अतिरिक्त गौरी शंकर द्वारा पूर्व मे किये गये रजिस्ट्रकृम मुकत्यारनामा आम को पिछली तारीक में नोटरी द्वारा निरस्त कराया गया जिसकी सूचना भी पूर्व में नियुक्त मुकतयारनामा को नहीं दी गयी जबकि रजिस्ट्रीकृत मुकत्यारआमा आम नोटरीकृत दस्तावेज द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता था। इस बटवारा आदेश दिनांक 04–09–96 को जानकारी होने पर आवेदक द्वारा बंदबोस्त अधिकारी के समक्ष अपील की गयी। बंदोबस्त प्रक्रिया समाप्त होने के कारण प्रकरण कलेक्टर महोदय दतिया के न्यायालय में अंतरित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3922–दो/15 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–12–2016	उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 3685–दो/2013 में पारित आदेश दिनांक 6–11–2015 के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक की ओर से इस न्यायालय के उपरोक्त आदेश में अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि नहीं बतलाई गई है और ना ही ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात बतलाई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है। सदस्य	